राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांक /सामान्य/2025/1296 दिनांकः 21/04/2025

–:आदेशः–

वर्तमान में जिले में भीषण गर्मी, हीट वेव एवं लू–तापघात को मध्यनजर रखते हुए सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओ के बचाव एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित् की जानी है।

अतः मैं अरूण कुमार पुरोहित (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन आपदा प्राधिकरण नागौर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागौर जिले में संचालित कक्षा 8 तक समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों की नियमित कक्षाओ के संचालन का समय दिनांक 21.04.2025 से सत्रांत तक प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक करता हूँ। साथ ही परीक्षा कार्यक्रम पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा एवं समस्त कार्मिको का समय विभागीय शिविरा पंचाग के अनुसार ही रहेगा। जिले के समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित् करे। यदि कोई भी संस्थाप्रधान उक्त आदेश का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

क्रमांक/सम/2025/1297-1303 दिनांक 21/04/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ।
2. उपखण्ड अधिकारी /तहसीलदार (समस्त) .... जिला नागौर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नागौर को निर्देशित किया जाता है कि जिले मे संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेश की अक्षरशः पालना करवाया जाना सुनिश्चित् करे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) नागौर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (समस्त) .... जिला नागौर।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी नागौर को प्रचार–प्रसार हेतु ।
7. रक्षितपत्रावली ।

जिला कलक्टर,
नागौर

Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.21 1?:09:42 IST
Reason: Approved

कमरा नं. 33 कलेक्ट्रेट, नागौर 341001
Tel: 01582-241444 (O), 1582-240830 (F), E-mail: dm-nag-rj@nic.in, gen.section2collector2014@gmail.com

RajKaj Ref No.: 14842512